



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक- 15.06.2024

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 163/24 धारा 380/411 भादवि से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से दुकान से चोरी किया हुआ परचून का सामान बरामद ।

### संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही-

दिनांक 14.06.2024 को थाना बिनौली पर वादी रहीसूद्दीन पुत्र मेहरद्दीन निवासी ग्राम बडावद थाना बिनौली जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त नीरज पुत्र वीरसैन निवासी बडावद थाना बिनौली जनपद बागपत ने दिनांक 14.06.2024 को उसकी दुकान की खिडकी में से घुसकर परचून का सामान चोरी कर लिया । जनता की मदद से वादी द्वारा अभियुक्त नीरज को पकड़कर



थाना बिनौली पर लाया गया । थाना बिनौली पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 163/24 धारा 380/411 भादवि पंजीकृत किया गया ।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

नीरज पुत्र वीरसैन निवासी बडावद थाना बिनौली जनपद बागपत ।

### बरामदगी का विवरण –

- दुकान से चोरी किया हुआ परचून का सामान ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-म0उ0नि0 कु0 मोना शर्मा थाना बिनौली जनपद बागपत ।

2-का0 983 राहुल कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक:-15.06.2024

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 193/2024 धारा 307/504/506 भादवि से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे के 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस बरामद ।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.06.2024 को थाना दोघट पर वादी श्री तेजपाल पुत्र रामभजन निवासी ग्राम कान्हड थाना दोघट जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त लक्ष्य पुत्र सुशील निवासी ग्राम कान्हड थाना दोघट जनपद बागपत के द्वारा उसके ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया तथा गाली-गलौच करते हुए जान से



मारने की धमकी दी । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 193/2024 धारा 307/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 193/2024 धारा 307/504/506 भादवि से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे के 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस बरामद हुआ है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

लक्ष्य पुत्र सुशील निवासी ग्राम कान्हड थाना दोघट जनपद बागपत।

**बरामदगी का विवरण-**

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

- 1-उ0नि0 श्री रजत ढाका थाना दोघट जनपद बागपत।
- 2-उ0नि0 श्री मुकेश कुमार पाल थाना दोघट जनपद बागपत।
- 3-का 1060 गौरव कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बालैनी

दिनांक- 15.06.2024

थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 27/23 धारा  
420/406/120बी/506/467/468/471 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को किया  
गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.02.2023 को थाना बालैनी पर वादी विक्की पुत्र रामू निवासी गांव सैदपुर थाना बालैनी जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तों 1-वाजिद उर्फ कबीर पुत्र मौसम निवासी ग्राम बरवाला जनपद मुजफ्फरनगर, 2-मौमीन निवासी ग्राम बरवाला जनपद मुजफ्फरनगर, 3-गजेन्द्र निवासी ग्राम



बरवाला जनपद मुजफ्फरनगर, 4- आरिफ उर्फ आसिफ निवासी ग्राम बरवाला जनपद मुजफ्फरनगर, 5-नदीप उर्फ फौजी निवासी ग्राम ममैर थाना कैराना जनपद शामली, 6-नाजिम मास्टर ग्राम गोठरा थाना खेकड़ा जनपद बागपत, 7-वाजिद उर्फ कबीर पुत्र मौसम निवासी ग्राम बरवाला जनपद मुजफ्फरनगर व 01 महिला द्वारा फर्जी तरीके से उ0प्र0 जल निगम में मुंशी के पद पर नौकरी लगवाने के नाम पर अलग-अलग तिथियों में 12,50,000/- रुपये लिये गये तथा उसकी नौकरी नहीं लगवाई और ना ही रुपये वापिस किये तथा रुपये वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बालैनी पर मु0अ0सं0 0027/2023 धारा 420/406/120बी/506 भादवि पंजीकृत किया गया था ।

उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर धारा 467/468/471 भादवि की वृद्धि की गयी ।

### कार्यवाही-


बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा थाना के मु0अ0सं0 27/23 धारा 420/406/120बी/506/467/468/471 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1.मौसम अली पुत्र उमरजान निवासी गाव बरवाला थाना थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फर नगर ।
- 2.गजेन्द्र पुत्र जसवीर निवासी ग्राम बरवाला थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फर नगर ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-व0उ0नि0 श्री सागर थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 सलीम अहमद थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 3-उ0नि0 यू0टी0 भुवनेश्वर थाना बालैनी जनपद बागपत
- 4-है0का0 440 राशिद थाना बालैनी जनपद बागपत
- 5-का0 940 अभिषेक थाना बालैनी जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक -15.06.2024

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 422/24 धारा 302/504/506/34 भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से आलाकत्ल 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस बरामद ।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक

15.06.2024 को  
थाना बडौत पर  
वादिया ने सूचना दी  
कि अभियुक्तों 1-  
ओमवीर व 2-  
उदयवीर पुत्रगण  
ईश्वर निवासीगण  
ग्राम गुराना थाना  
बडौत जनपद



बागपत के द्वारा उसके पति यशवीर सिंह पुत्र ईश्वर निवासी ग्राम गुराना थाना बडौत जनपद बागपत की गोली मारकर हत्या कर दी गयी तथा उसे व उसके परिजनों को गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 422/24 धारा 302/504/506/34 भादवि पंजीकृत किया गया ।

## कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 422/24 धारा 302/504/506/34 भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से आलाकत्ल 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस बरामद हुआ है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

## बरामदगी का विवरण-

- आलाकत्ल 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस।

## गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-ओमवीर पुत्र ईश्वर निवासी ग्राम गुराना थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2-उदयवीर पुत्र ईश्वर निवासी ग्राम गुराना थाना बडौत जनपद बागपत।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री संजय कुमार शर्मा थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2-व0उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह चौहान थाना बडौत जनपद बागपत।
- 3-उ0नि0 श्री सुरेश कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 4-उ0नि0 श्री विकुल कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 5-उ0नि0यू0टी0 श्री सौम्य कृष्णात्रेय थाना बडौत जनपद बागपत।
- 6-है0का0 151 सन्दीप कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 7-है0का0 19 अमित कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 8-का0 525 महेशचन्द थाना बडौत जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बालैनी

दिनांक 15.06.24

थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु०अ०स० 85/24 धारा 307/34/506/120बी भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को मा० न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमांड पर लेकर अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०स० 85/24 धारा 307/34/506

/120बी भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को मा० न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमांड पर लेकर अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 मिस कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है ।



उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि कर थाना बालैनी पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### पुलिस अभिरक्षा में लिए गए अभियुक्त का नाम व पता-

इन्द्रपाल उर्फ इन्द्र पुत्र महावीर निवासी ग्राम मवीकलां थाना बालैनी जनपद बागपत ।

### अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु०अ०स०-133/15 धारा 323/504/506/452/354 भादवि थाना बालैनी जनपद बागपत ।
2. मु०अ०स०-110/21 धारा 323/353/332 भादवि थाना बालैनी जनपद बागपत ।
3. मु०अ०स०-11/22 धारा 188/269/270/271 भादवि व 03 माहमारी अधि० थाना बालैनी जनपद बागपत ।
4. मु०अ०स०-95/22 धारा 302/120बी भादवि थाना बालैनी जनपद बागपत ।।
5. मु०अ०स०-170/23 धारा 333/353/504/506/427/354 भादवि थाना बालैनी जनपद बागपत ।
6. मु०अ०स०-96/23 धारा (3) यु०पी० गुण्डा अधि० थाना बालैनी जनपद बागपत ।
7. मु०अ०स०-85/24 धारा 307/34/506/120बी भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बालैनी जनपद बागपत ।

### बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस ।

### बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री मंजीत सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 2-उ०नि० यू०टी० सुजीत कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 3-का० परमजीत सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत ।